न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 53/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
मुख्यतारसिंह पुत्र आत्मासिंह जाति प्रजापत निवासी ग्राम मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रोल पंचायत समिति मुण्डवा नागौर।		1 काजी समाज रोल जरिये अध्यक्ष जाबिर अली पुत्र अलीमुदीन जाति काजी मुसलमान निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री निम्बाराम काला अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री भोपाल सिंह राठौड, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 01.07.2025

1– प्रकरण इस प्रकार है कि निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रोल द्वारा पटटा संख्या 35/21.08.2024, बुक संख्या 135/2024 द्वारा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.11.2024 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 12.12.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री भोपाल सिंह राठौड, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पटटा संख्या 35 की फोटोप्रति, प्रस्ताव रजिस्टर वर्ष 2024–25 की फोटोप्रति, पंचायत समिति मुण्डवा के पत्र दिनांक 21.11.24 की फोटोप्रति, मिसल संख्या 03/20.06.24 की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी ने ग्राम रोल की जमाबंदी संवत् 2076 एवं 2058 से 61 की फोटोप्रति, पटटा संख्या 23 व 30 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– विवादित पटटा संख्या 35/दिनांक 21.08.2024 सरासर गलत, फर्जी, कूटरचित, षडयंत्रपूर्वक विधि विरूद्व ढंग से जारी करवाया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2(2)–अप्रार्थी जाबिर अली ने उक्त फर्जी पटटा हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन पेश किया उस आवेदन में मिथ्या तथ्य दर्ज करते हुए उक्त जायगा को अपनी पुराने बडेर के समय का पुराना मकान बता कर मकान के पटटे की आवश्यकता होना बता कर आवेदन में उल्लेख कर आवेदन पेश किया गया था जबकि न तो जाबिर अली का वहां मौके पर मकान है न पुराना कब्जा है न ही जाबिर अली का वहां मौके पर मकान है न पुराना कब्जा है न ही जाबिर अली ने काजी समाज के अध्यक्ष की हैसियत से ऐसा कोई आवेदन पेश किया था। जबकि उक्त भूमि मौके पर खुली पडी है किसी प्रकार का निर्माण किया हुआ नहीं है तथा नियम 157(1) के तहत खाली भूमि पर पटटा जारी नहीं करवाया जा सकता है इसके बावजूद ग्राम पंचायत को धोखे में रखने के लिए आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर व वास्तविक तथ्य पंचायत से छुपा कर अप्रार्थी ने काजी समाज रोल के नाम से उक्त विवादित पटटा जारी करवाया है जो विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2(3)– अप्रार्थी जाबिर अली ने उक्त खाली भूमि को अपना मकान होने का मिथ्य शपथ पत्र पेश किया व गवाहान के मिथ्या घोषणा के शपथ पत्र पेश कर वास्तविक तथ्यों को छुपा कर बाद में काजी समाज के नाम से खाली भूमि के संबंध में 200 रूपये जमा करवा कर ग्राम पंचायत से गलत रूप से उक्त पटटा जारी करवाया गया है। जबकि जाबिर अली स्वयं के बयानों में यह कथन किया कि उसके स्वयं की कब्जासुद जायगा मकान का पटटा जारी करवाने का कथन किया व उसके समर्थन में गवाहान के फर्जी शपथ पत्र पेश किये व अपने नाम पटटा बनवाने का कथन किया व अन्य किसी का हक अधिकार नहीं है व मिथ्या आवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत से अप्रार्थी के नाम गलत रूप से खाली जमीन का पटटा जारी करवा लिया जो जांच में गलत पाया गया है इस कारण छल कपट व झुठे/मिथ्या आवेदन व शपथ पत्र पेश कर जारी करवाये गये उक्त पटटा को निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

01/7/25

अपर कलक्टर, नागौर

2(4)– उक्त अप्रार्थी काजी समाज के कथित अध्यक्ष जाबिर अली अत्यंत्र चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने बदनियती रखते हुए अपने लाभ के लिए मिथ्या तथ्य, गलत व झूठा शपथ पत्र पेश कर ग्राम पंचायत को धोखे मे रख कर खाली जमीन का निर्माण बता कर गलत जांच करवा कर छल कपट से खाली जमीन पर निर्माण बता कर गलत जांच करवा कर छल कपट से खाली जमीन का पटटा जारी करवाया होने से विधिक प्रावधानों अनुसार गैर कानूनी है जो नियम 157(1) पंचायत राज अधिनियम के विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जावे।

3– वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की विधिनुसार पूर्णतया पालना करते हुए जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी किया है एवं ग्राम विकास अधिकारी ने ही उक्त निगरानी पेश की है, जिससे निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रोल द्वारा पटटा संख्या 35/21.08.2024, बुक संख्या 135/2024 को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत में पटटा बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा आवेदन में उक्त जायगा को अपने पुराना बडेरो का पीढी दर पीढी कब्जा सुदा एवं पुराना निर्मित मकान का होना तथा पट्टा स्वयं के नाम जारी करने का अंकन करते हुए आवेदन दिया, जबकि ग्राम पंचायत ने उक्त पटटा काजी समाज के नाम जारी किया, जिससे पट्टा की वैधानिकता पर संशय पैदा होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत रोल ने उक्त पट्टा बनाते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमों की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रोल द्वारा काजी समाज के हक में जारी पट्टा संख्या 35/21.08.2024 व इससे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त किया जाता है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/7/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर